संख्या:203/2015/773/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:19 जून,2015

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहाँपुर में शासनादेश संख्या:315/35-4-2013 दिनांक 04 मार्च,2013 द्वारा सेतु निर्माण से संबंधित 02 कार्यों की लागत रू. 736.30 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 02 कार्यों में से एक कार्य यथा-**ब्लाक जैतीपुर में धर्मपुर- कंकलिया घाट पर बहगुल नदी पर सेतु- 118 मीटर लम्बाई का सेतु** की रू.375.65 लाख की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू. 698.41 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 मार्च,2013 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
3- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य की लागत को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग करते हुये नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति शासनादेश की अनुपालन आख्या उपलब्ध होने पर नियमानुसार अवशेष/देय धनराशि अवमुक्त करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।
4- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे सेतु एवं पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग आदि की लम्बाई एवं चौड़ाई मे परिवर्तन एवं अन्य विशिष्टियाँ स्तेमाल करना इत्यादि, वित्त व्यय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु रू. 71.09 लाख का प्रस्ताव किया गया है। भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-780/दस-2015 दिनांक 01 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:203/2015/773(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, बरेली।
7- जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर।
8- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शाहजहॉपुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in